BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

M. A. NO. 73 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 773 OF 2022

IN THE MATTER OF:

RAJESH PAREEK .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

WITH

IN THE MATTER OF:

DR. SANJAY KULSHRESTHRA ..... APPLICANT

VERSUS

URBAN DEVELOPMENT
DEPARTMENT & ORS. ..... RESPONDENTS

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Additional Affidavit on Behalf of Respondent Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-3
2.	**ANNEXURE-1** True copy of proof of such deposit	4
3.	**ANNEXURE-2** . True copy of letter dated 27.02.2026	5-6
4.	**ANNEXURE-3** True copy of letter dated 09.03.2026	7-8
5.	**ANNEXURE-4** True copy of the letter dated 10.03.2026 sent by Regional Officer, UPPCB Agra	9
6.	**ANNEXURE-5** . True copy of the letter dated 11.03.2026	10

NEW DELHI
DATED: 16 .03.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEWDELHI

M. A. NO. 73 OF 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 773 OF 2022

NOTARY
Vimal Kishore Mathur Advocate
NOTARIAL NOTARIAL
Regd. No. 4290/07
Area Mathura
GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:
RAJESH PAREEK .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

WITH

IN THE MATTER OF:
DR. SANJAY KULSHRESTHRA ..... APPLICANT

VERSUS

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT & ORS. ..... RESPONDENTS

NOTARY
Vimal Kishore Mathur Advocate
Regd. No. 4290/07
Area Mathura
GOVT. OF INDIA

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESHPOLLUTION CONTROL BOARD

I, Pankaj Yadav, S/o Shri Lalmani Yadav, aged about 45 years, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board Mathura, U.P, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

VIMAL KISHORE MATHUR
Advocate, Notary Public, Mathura

1. That I in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

2. The above noted matters came up for hearing on 22.12.2025 when this Hon'ble Tribunal directed the UPPCB as follows:

> "6. The UPPCB has also not placed on record any effective steps which have been taken to recover the said EC amount. Learned Counsel appearing for the UPPCB submits that within four weeks effective steps will be taken for recovery of the EC amount and a

communication will also be sent to the District Magistrate, Agra for issuing the recovery certificate and to recover the said amount. Hence, the UPPCB is directed to file an action taken report and Mathura-Vrindavan Nagar Nigam is directed to file a compliance report within eight weeks."

3. That the Nagar Nigam, Mathura-Vrindavan has deposited Rs. 47,38,000/- on 31.01.2026 with the UPPCB. True copy of proof of such deposit is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

4. That on 27.02.2026 the Regional Officer, UPPCB, Mathura sent a reminder to the Project Manager, Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural), Jeevani Mandi, Agra and Executive Engineer, Construction Division, U.P. Jal Nigam (Urban), Krishna Nagar, Mathura to deposit the remaining amount. True copy of letter dated 27.02.2026 is being enclosed herewith and marked as **Anenxure-2**.

NOTARY
Vimal Kishore Mathur Advocate
Regd. No. 4290/07
Area Mathura
GOVT. OF INDIA

5. That similarly the District Magistrate also sent a letter dated 09.03.2026 to Project Manager, Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural), Jeevani Mandi, Agra and Executive Engineer, Construction Division, U.P. Jal Nigam (urban), Krishna Nagar, Mathura to deposit the remaining amount. True copy of letter dated 09.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Anenxure-3**.

VIMAL KISHORE MATHUR
Advocate, Notary Public, Mathura

6. That the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra sent a letter dated 10.03.2026 to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Agra, Chief Engineer (Urban), U.P. Jal Nigam, Agra and General Manager, Jal Kal Department, Nagar Nigam, Agra, asking them to deposit the amount of Rs. 58,39,20,000/-, however, the said amount has not been deposit as yet. True copy of the letter dated 10.03.2026 sent by Regional Officer, UPPCB Agra is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.

7. That regarding rejuvenation plan, the Executive Engineer,

Construction Division-II, U.P. Jal Nigam (Urban), Jeevani Mandi Road, Agra vide letter dated 11.03.2026 has informed that the said plan has been sent to CPCB for its approval. According to the proposal, the cost of the plan is Rs. 173.71 Crores and for allocation of fund and technical approval, the same has been sent to State Level Technical Committee (SLTC) to be included in the agenda for next meeting. True copy of the letter dated 11.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5**.

The above facts are being placed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

NOTARY Vimal Kishore Mathur Advocate Regd. No. 4290/07 Area Mathura GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 14 DAY OF MARCH, 2026 AT MATHURA, U.P.

VIMAL KISHORE MATHUR
Advocate, Notary Public, Mathura

DEPONENT

The Contants of the affidavit/documents read over and explained by Shri Pankaj Yadav who is identified by Shri Ram Yadav as oath attested to Day on 14.3.26 at my Office & Noted down in the notorial Register No. 3205 and Charged fees Rs. 35

Vimal Kishor Mathur
Notary Public
District Head Quarter, Mathura

मै श्री Pankaj Yadav को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ इन्होने हस्ताक्षर/नि०अ०मेरे सामने किये है।

ह० पहचानकर्ता

Annexure-1

...is is DSC Based Payment. PPA generation not applicable

PFMS Generated DSC Transaction Payment Advice Report

Agency Name: NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN-[UPMT00005837]

Debit Bank Name : UNION BANK OF INDIA

Bank Account No: 169210100052523

Approval date in PFMS: 31-Jan-2026

DSC Signing Date in PFMS: 31-Jan-2026

Amount (in Rs.) : 4,738,000.00 (***Amount in words :*** *Forty-Seven Lakhs Thirty-Eight Thousand*

No. Of Beneficiaries: 1

Not to be used by bank for making any payments

Debit Payment Advice No.: C012654819836

S.No.	Beneficiary Name	PFMS Transaction ID	Account Number	IFSC Code	Aadhaar No.	Amount In (Rs.)
1	UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD	C012654819761	xxxxxxxxxxxx0050	ICIC0004698		4,738,000.00
					Total Amount(Rs):	**4,738,000.00**

PFMS

....

(Sign by Authorized Signatory)

Name -

Designation -

Mobile No -

....

(Sign by Authorized Signatory)

Name -

Designation -

Mobile No -

Anenxure-2

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 1330/0-93/2026 दिनांक/Date 27/02/2026

सेवा में,

1. परियोजना प्रबन्धक,
   यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
   उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जीवनी मण्डी,
   आगरा।
2. अधिशासी अभियन्ता,
   निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
   कृष्णा नगर,
   जनपद–मथुरा।

विशय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–24.04.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षति भुगतान उ0प्र0 जल निगम की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाप्रबन्धक (जल), नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के पत्र सं0–1281/GM(Jal)/MTR/2025-26 दिनांक–25.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम मथुरा वृन्दावन में जनित होने वाले सीवरेज की मात्रा का पूर्ण शोधन न होने, 6.8 एम0एल0डी0 मसानी एस0टी0पी0 प्लाण्ट निरीक्षण के दौरान बन्द पाये जाने मा0 एन0जी0टी0 द्वारा शोधित उत्प्रवाह के सम्बन्ध में निर्गत संशोधित मानकों (BOD/SS/TN<10mg/L]Dissolved P<2mg/L] Faecal Coliforms<230 MPN/100mL) का अनुपालन न किये जाने के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में नेशनल ग्रीन ट्रिव्युनल, नई दिल्ली ने अपने पारित आदेश दिनांक–24.04.2024 के द्वारा रू0–7,20,10,000/– (रू0–3,05,09,500+4,15,00,500) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे 03 माह में जमा करायी जानी है।

पत्र में उल्लिखित रू0–3,05,09,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कम्प्यूटेशन के अनुसार रू0–3,05,09,500/– में से रू0–47.38 लाख मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा तथा शेष धनराशि रू0–257.72 लाख मात्र का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जीवनी मण्डी, आगरा द्वारा किया जाना है तथा रू0–4,15,00,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कम्प्यूटेशन के अनुसार रू0–4,15,00,500/– में से रू0–276.67 लाख मात्र का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कृष्णा नगर, मथुरा तथा शेष धनराशि रू0–138.34 लाख मात्र का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जीवनी मण्डी, आगरा द्वारा किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक–22.12.2025 को सुनवाई में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 08 सप्ताह के अन्दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के लिये आदेश दिया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश निम्नवत् है– "It shall be open to the concerned Nagar Nigams to realize amount of environmental compensation from working agencies of STPs proportionately in accordance with law and after following such procedure as prescribed in law".

अतः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित समस्त हितधारक अपने नियंत्रणाधीन सम्बन्धित ऑपरेटर/कार्यदायी फर्म से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति समानुपातिक धनराशि वसूल करके भुगतान उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना है।

...2...

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनांक–47.38 लाख का भुगतान दिनांक–31.01.2026 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त वाद की अग्रिम सुनवाई मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक–17.03.2026 को नियत है। उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में न किये जाने की स्थिति में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपने से सम्बन्धित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में करना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित होने वाले किसी भी प्रतिकूल आदेश का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
4. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

 Anenxure-3.

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांकः– 1370/प्र0नि0बो0/2026 दिनांक– 09/03/2026

1. परियोजना प्रबन्धक,
   यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
   उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जीवनी मण्डी,
   आगरा।
2. अधिशासी अभियन्ता,
   निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
   कृष्णा नगर,
   जनपद–मथुरा।

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–24.04.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षति भुगतान उ0प्र0 जल निगम की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के पत्र सं0–2484/एस0टी0–2/2025–26 दिनांक–21.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न), जो प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर निगम मथुरा वृन्दावन में जनित होने वाले सीवरेज की मात्रा का पूर्ण शोधन न होने, 6.8 एम0एल0डी0 मसानी एस0टी0पी0 प्लाण्ट निरीक्षण के दौरान बन्द पाये जाने मा0 एन0जी0टी0 द्वारा शोधित उत्प्रवाह के सम्बन्ध में निर्गत संशोधित मानकों (BOD/SS/TN<10mg/L]Dissolved P<2mg/L] Faecal Coliforms<230 MPN/100mL) का अनुपालन न किये जाने के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में नेशनल ग्रीन ट्रिव्युनल, नई दिल्ली ने अपने पारित आदेश दिनांक–24.04.2024 के द्वारा रू0–7,20,10,000/– (रू0–3,05,09,500+4,15,00,500) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे 03 माह में जमा करायी जानी है।

पत्र में उल्लिखित रू0–3,05,09,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कम्प्यूटेशन के अनुसार रू0–3,05,09,500/– में से रू0–47.38 लाख मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा तथा शेष धनराशि रू0–257.72 लाख मात्र का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जीवनी मण्डी, आगरा द्वारा किया जाना है तथा रू0–4,15,00,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कम्प्यूटेशन के अनुसार रू0–4,15,00,500/– में से रू0–276.67 लाख मात्र का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कृष्णा नगर, मथुरा तथा शेष धनराशि रू0–138.34 लाख मात्र का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जीवनी मण्डी, आगरा द्वारा किया जाना है।

...2..

उपरोक्त के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक–22.12.2025 को सुनवाई में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 08 सप्ताह के अन्दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के लिये आदेश दिया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश निम्नवत् है– "It shall be open to the concerned Nagar Nigams to realize amount of environmental compensation from working agencies of STPs proportionately in accordance with law and after following such procedure as prescribed in law".

अतः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित समस्त हितधारक अपने नियंत्रणाधीन सम्बन्धित ऑपरेटर/कार्यदायी फर्म से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति समानुपातिक धनराशि वसूल करके भुगतान उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनांक–47.38 लाख का भुगतान दिनांक–31.01.2026 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त वाद की अग्रिम सुनवाई मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक–17.03.2026 को नियत है। उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में न किये जाने की स्थिति में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपने से सम्बन्धित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में करना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित होने वाले किसी भी प्रतिकूल आदेश का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा।

जिलाधिकारी,
मथुरा।

DM Sir Office order.D

 Annexure-4.

e-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –1023/एल–236/2026 **दिनांक –12/03/2026**

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. मुख्य अभियंता (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
3. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–73/2025 इन ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारिक तथा ओ0ए0 सं0–840/2022 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–73/2025 इन ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारिक तथा ओ0ए0 सं0–840/2022 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.09.2025 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है–

".........6. Learned counsel appearing for the UP PCB submits that so far as the recovery of EC of Rs. 58,39,20,000/- from the Agra Nagar Nigam and of Rs. 7,20,10,000/- from the Mathura-Vrindavan Nagar Nigam is concerned the UP PCB will take expeditious steps but so far as the EC for the subsequent period is concerned the UP PCB will disclose the details of calculation of EC in the next affidavit before the Tribunal. In that affidavit the UP PCB will also disclose the status of compliance of norms by the STPs in Mathura-Vrindavan as also in Agra and status of drains.

7. Let notice be issued to the Commissioner, Municipal Corporation Agra and the Commissioner, Municipal Corporation Mathura Vrindavan by the Registry for filing their reply by way of affidavit disclosing status of compliance of the order of the Tribunal passed in the OA. "

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक सं0–एच 35707/सी–4/एन0जी0टी0–163/2025 दिनांक 12.12.2025 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा को मा0 अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–58,39,20,000/– के भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके अनुक्रम में कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के पत्रांक सं0–522/डी/ईई/2025 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान अवधि तक मा0 अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0–58,39,20,000/– के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों द्वारा कोई अद्यतन सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। मा0 अधिकरण में उक्त वाद की आगामी सुनवाई दिनांक 17.03.2026 को नियत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 के अनुपालन में विभागीय कृत कार्यवाही अथवा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण को अद्यावधिक वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

D;drive/2017/other work

206 **Annexure-5.**

pmcuagra1@gmail.com
फोन नं0 : (0562) 2621046
मो0 नं0 : 09473942647

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

पत्रांक : 101 / NGT / 01 दिनांक : 11/03/26

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आवास विकास सिकन्दरा,
आगरा।

विषय :– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–73/2025 इन ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारिक तथा ओ0ए0 सं0–840/2022 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 1023/एल–236/2026, दिनांक 10.03.2026 **(संलग्नक–1)** के क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 840/2022, डा0 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में दिनांक 24.04.2024 **(संलग्नक–2)** की सुनवाई मा० एन०जी०टी० द्वारा रु0 58,39,20,000.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी एवं इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग किये जाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में Rejuvenation Plan तैयार किये जाने हेतु संयुक्त समिति गठित की गयी थी। इस संयुक्त समिति में CPCB एवं UPPCB के प्रतिनिधि सदस्य थे। इस समिति द्वारा तैयार किये गये Rejuvenation Plan **(संलग्नक–3)** के अनुसार आगरा, नगर निगम के 78 एम०एल०डी० एस०टी०पी० धांधूपुरा के निर्माण का प्रस्ताव सदस्य सचिव CPCB को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त इसे मा० एन०जी०टी० को अनुपालन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

इस प्राक्कलन/प्रस्ताव की अनुमानित लागत (विद्युत संयोजन, सेन्टेज, लेवर सेस एवं जी०एस०टी० सहित) रू0 173.71 करोड़ है **(संलग्नक–4)**। इस प्राक्कलन के धनावटन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु नगर आयुक्त, आगरा नगर निगम, आगरा के कार्यालय पत्रांक 1475/D/NA, दिनांक 30.12.2025 **(संलग्नक–5)** एवं अधीक्षण अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्रांक 25/नागर–1/032–एन0जी0टी0–840/2026, दिनांक 27.01.2026 **(संलग्नक–6)** द्वारा अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस०एल०टी०सी०) की आगामी बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(स्वतन्त्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, आगरा को उनके कार्यालय के पत्रांक 522/D/EE/2025, दिनांक 23.12.2025 **(संलग्नक–7)** के सम्बन्ध में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

अधिशासी अभियन्ता